100/

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग

क्रमांक प.19(12)अल्प.वक्फ/2019/RK/00844 जयपुर दिनांक 25.07.2019

–: आज्ञा :–

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के अधीन पीएमजेवीकें योजना के तहत पीएमजेवीकें योजना के चयनित ब्लॉक सम (जैसलमेर) हेतु–

नवनिर्मित बालक एवं बालिका छात्रावास (50 बैडेड) हेतु निम्नलिखित संम्मुख अंकित नवीन पद सृजन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

लेखाशीर्ष	छात्रावास का नाम	नियमित पद का सृजन	संख्या
2225–04–277(01)[03]–01 (राज्य निधि)	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास सम (जैसलमेर)	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड–II L-5	01
2225–04–277(01)[09]–01 (राज्य निधि)	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास सम (जैसलमेर)	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड–II L-5	01

उक्त नवसृजित पद उक्त छात्रावासों का विभाग द्वारा कब्जा लेने के पश्चात् भरे जायेगें।

नवीन छात्रावासों के निम्नांकित कार्य Job basis (Outsource of work) पर निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

लेखाशीर्ष	छात्रावास का नाम	जॉब बेसिस पर अनुमत कार्य
2225–04–277(01)[03]–05 (राज्य निधि)	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास सम (जैसलमेर)	सफाई, सुरक्षा एवं खाना बनाना
2225–04–277(01)[09]–05 (राज्य निधि)	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास सम (जैसलमेर)	सफाई, सुरक्षा एवं खाना बनाना

शर्तें :–

1.

i. उक्त कार्य हेतु किसी भी स्थिति में सीधे रूप से व्यक्तियों की सेवाएं नही ली जावेगी, ना ही व्यक्तियों को एजेन्सी के माध्यम से अनुबंधित किया जायेगा।

ii. जॉब पर कराये जाने वाले कार्य का निर्धारण/विवरण (Scope of work) का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए विभाग RTPP Act 2012 & Rule 2013 के प्रावधान एवं प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा।

iii. व्यय उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा में ही रखा जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

iv. स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्व उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

v. वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र संख्या–1 दिनांक 30.04.2018 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

vi. उक्त कार्य विभाग द्वारा उपर्युक्त अंकित छात्रावासों का कब्जा लेने के पश्चात् कराये जा सकेंगे।

2. उक्त छात्रावासों के लिए विभागीय मापदण्डों के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नवीन मद RTTP Act 2012 & Rule 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए क्रय करने हेतु वित्त विभाग की सहमति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त सहमति उपलब्ध बजट प्रावधान के तहत दी जा रही है, यदि अतिरिक्त बजट प्रावधान आवश्यक हो तो अन्य लेखाशीर्ष में बचत चिन्हित कर पुनर्विनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त बजट प्रावधान उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भिजवाये जा सकते है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी क्रमांक 161900657 दिनांक 05.07.2019 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी की जाती है।

25.7.19

(नीलिमा तक्षक)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, शासन सचिवालय, जयपुर ।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात बिभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग को आपके आई.डी. कमांक 161900657 दिनांक 05.07.2019 के कम में।
6. रक्षित पत्रावली।

(रमेश चन्द परेवा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com दूरभाष न.:0141-2711978, 2711938

क्रमांक :- प.106 / नि.अ.मा.वि. / नव.रा.छात्रा. / पद सृजन / 2016-17 / पार्ट / 7197-209 जयपुर, दिनांक: 1/8/19

प्रतिलिपि- निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
3. उपनिदेशक प्रथम, द्वितीय, पीएमजेवीके, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
5. सहायक निदेशक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
6. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जैसलमेर को पालनार्थ।
7. कोषाधिकारी, कोषालय, जैसलमेर।
8. सूचना सहायक को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

31.7.19
(डॉ. गुंजन सोनी)
अतिरिक्त निदेशक